न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 167 / 2012 / बाड़मेर

अपीलांट		रेस्पोडेंटगण
1. मूलाराम पुत्र बगाराम के का.मु. 1/1देदाराम पुत्र मूलाराम उम्र 52वर्ष जाति जाट, निवासी कादानाड़ी तहसील गुड़ामालानी, जिला बाड़मेर। 2. चूनाराम गोदपुत्र मगाराम उम्र 42वर्ष जाति जाट निवासी कादानाड़ी तहसील गुड़ामालानी, जिला बाड़मेर।	बनाम	1.चुतराराम पुत्र बनाराम उम्र 68 वर्ष जाति जाट निवासी कादानाड़ी तहसील गुड़ामालानी, जिला बाड़मेर। 2.मगनाराम पुत्र लाधाराम उम्र 57 वर्ष 3.नवली बेवा लाधाराम उम्र 72 वर्ष जाति जाट, निवासी ठावो की ढाणी (कादानाड़ी) तहसील गुड़ामालानी, जिला बाड़मेर। 4.मोटाराम पुत्र लाधाराम उम्र 47 वर्ष 5.देराजराम पुत्र लाधाराम उम्र 42 वर्ष 6.नीम्बाराम पुत्र लाधाराम उम्र 37 वर्ष 7.ठाकराराम पुत्र लाधाराम उम्र 32 वर्ष हाल निवासी ओम टैक्सटाईल शौरूम मारूति सर्किल, बस स्टैण्ड रोड़, कुस्तवी जिला कोपल कर्नाटक 8.मीरो पत्नी मगाराम उम्र 52 वर्ष जाति जाट निवासी कादानाड़ी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर 9.राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी, जिला बाड़मेर।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 03/2011 बअनवान चुतरा बनाम मगना वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 19.09.2011 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री चैनाराम सारण अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री जोगराज पोटलिया रेस्पोडेंट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः— 09.08.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वादग्रस्त आराजी भूमि मौजा कादानाड़ी व ठावों की ढाणी, पटवार सर्किल पांथला कला में खसरा संख्या 447/242, 448/242, 444/231, 536 कुल दोनों ग्रामों की 220.03 बीघा संयुक्त रूप से दर्ज थी, जिसमें चुतराराम का 1/4 हिस्सा, मीरो पत्नी मगा का 1/4

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

हिस्सा, मूला का 1/4 हिस्सा व 1/4 हिस्सा मगना, मोटा, नीम्बा, देराज, ठाकरा व नवली बेवा लाधा का था। ये सभी बना के वारिस थे एवं उक्त जमीन इनकी पैतृक थी। इस आशय का वाद अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट चुतरा द्वारा पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को न तो कोई सुना गया तथा न ही कोई नोटिस वगैरा वाद बाबत ही मिला। वादग्रस्त खेत में कभी भी आर.आई एवं हल्का पटवारी मौके पर नहीं आये, न ही मौके पर पैमाईश की गई और न ही जमीन की गुणवता का ध्यान रखा गया। रेस्पोडेंट संख्या 08 द्वारा अपने हिस्सा की भूमि का जरिये दान–पत्र के चूना गोद मगा को अपना हिस्सा दे दिया था तथा इस बाबत नामान्तकरण कर दिया तथा राजस्व रेकर्ड में चूना का नाम दर्ज हो गया तथा आर आई व पटवारी हल्का को इस बात का ज्ञान था कि विभाजन प्रस्ताव के साथ जमाबंदियां भी वादग्रस्त खेतों की संलग्न थी, तब भी इस बात का रेस्पोडेंट ने ध्यान नहीं दिया तथा चूना गोदपुत्र मगा को न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाकर बाले–बाले अपने हक में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करवा दी, जो कि विधिक दृष्टि से खारिज होने योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि रेस्पोडेंट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) 1955 की धारा 18 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा तहसीलदार स्वयं मौके पर नहीं गया। वादग्रस्त खेत में कभी भी आर.आई एवं हल्का पटवारी मौके पर नहीं आये, न ही मौके पर पैमाईश की गई और न ही जमीन की गुणवता का ध्यान रखा गया। रेस्पोडेंट संख्या 08 द्वारा अपने हिस्सा की भूमि का जरिये दान–पत्र के चूना गोद मगा को अपना हिस्सा दे दिया था तथा इस बाबत नामान्तकरण कर दिया तथा राजस्व रेकर्ड में चूना का नाम दर्ज हो गया तथा आर आई व पटवारी हल्का को इस बात का ज्ञान था कि विभाजन प्रस्ताव के साथ जमाबंदियां भी वादग्रस्त खेतों की संलग्न थी, तब भी इस बात का रेस्पोडेंट ने ध्यान नहीं दिया तथा चूना गोदपुत्र मगा को न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाकर बाले–बाले अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 19.09.2011 को पारित कर दी गई जो कि न्यायोचित नहीं है। यह बंटवारा By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय विधि के अनुरूप पारित किया गया है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय By Metes & Bounds किया गया है और सहखातेदारों के मध्य विभाजन बराबर–बराबर किया गया है। किसी का हिस्सा कम–ज्यादा नहीं किया गया इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी पूर्व में नहीं थी। अपीलांटगण सर्वप्रथम ज बवह ग्राम पंचायत की मीटिंग में गये तब गांव वालो ने बताया कि रेस्पोडेंट संख्या 01 ने आपके खेत का बंटवाड़ा करवा लिया है। अपीलाधीन आदेश की नकले दिनांक 16.03.2012 को नकले मांगी, जो दिनांक 20.03.2012 को प्राप्त हुई तथा वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं। अपील पेश करने में हुई देरी का कोई संतोषप्रद कारण भी नहीं बताया। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। आलोच्य निर्णय का परीक्षण किया गया। वादग्रस्त भूमि के हक–हिस्सों बाबत कोई उज्र/एतराज नहीं है। प्रारम्भिक डिक्री जारी होने के बाद प्राप्त विभाजन प्रस्ताव (दिनांक 21.06.2011) नियमानुसार है। वाद के विचारण की कार्यवाही के दौरान खातेदार मीरो पत्नी मगाराम ने अपना हिस्सा चूनाराम गोद पुत्र मगाराम को दान कर दिया। जिसका रिकॉर्ड में अमल दरामद हो गया था। परन्तु चूनाराम को पक्षकार रूप में संयोजित कर उसका पक्ष नहीं सुना गया। विभाजन

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

प्रस्ताव तैयार करते वक्त उसको सूचित किया जाना भी रिकॉर्ड पर नहीं है। इस प्रकार से अपीलाधीन निर्णय एकतरफा एवं प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के विपरीत है।

अंतिम निर्णय दिनांक 19.09.2011 में तो चूनाराम पुत्र मगाराम को क्रमांक 02 में वर्णित सहखातेदारों के साथ अंकित कर दिया परन्तु जारी किये गये डिक्री पर्चा दिनांक 19.09.2011 में प्रतिवादी संख्या 07 पर मीरो पत्नी मगाराम शामिल है। परन्तु चूनाराम नहीं। इस प्रकार निर्णय एवं डिक्री पर्चा में विरोधाभास है। यह परस्पर दूषित होकर विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन निर्णय यथावत रखने योग्य नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 03/2011 बअनवान चुतरा बनाम मगना वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 19.09.2011 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट संख्या 02 को समुचित सुनवाई का मौका दिया जाकर गुणावगुण पर पुनः निर्णय एवं डिक्री पारित करे।

9/8/19

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 09.08.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

9/8/19

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner